अवीवा ऐफ्लुएंस

AVIVA
| Life Insurance |

इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश के जोखिमों का वहन पॉलिसी धारक करेगा।

लिंक्ड बीमा उत्पाद अनुबंध के पहले पांच वर्षों के दौरान किसी प्रकार का नकद प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं देता है। पॉलिसी धारक पांचवे वर्ष के अंत तक लिंक्ड बीमा उत्पादों में निवेश की गई रकम का पूर्ण या आंशिक रूप से समर्पण नहीं कर सकेंगे/वापस नहीं ले सकेंगे।

अवीवा ऐफ्लुएंसः यूनिट–लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग बीमा योजना

आप अपना जीवन पूरी तरह से जीते हैं और अपने वित्त से अधिकतम लाभ पाना चाहते हैं। हालांकि, यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छा समय हमेशा के लिए बना रहे, आपको एक अच्छी योजना की जरूरत है जो पैसों को कई गुना कर दे और यह सुनिश्चित करे कि आप भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान का आनंद ले। प्रस्तुत है अवीवा ऐफ्लुएंस, एक योजना जो बचत के विकल्पों के साथ आपके धन को इष्टतम बनाता है।

अवीवा ऐफ्लुएंस आपको एक सीमित भुगतान अवधि के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है और लंबे समय के पड़ावों, चाहे आपके बच्चों के लिए या आपकी रिटायरमेंट, को पार करने के लिए आपका निवेश बनाए रखता है। आप फंड के 7 विकल्पों में से एक विकल्प चुन कर रिटर्न्स को इष्टतम बना सकते हैं और बदलते जोखिमों के अनुसार स्वरूप भी बदल सकते हैं। अवीवा ऐफ्लुएंस सुनिश्चित करता है कि आप आज खर्च करें और भविष्य के बारे में चिंता किए बिना परिवार की इच्छाएं पूरी करे।

एक योजना जो आपको ध्यान रखने में मदद करेगी

कस्टमाइजः अपने लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने पॉलिसी की अवधि चुने। अपनी सुविधा के अनुसार 5, 7, 10, 15 वर्षों या पॉलिसी के समग्र कार्यावधि के लिए किस्तों का भुगतान करने का विकल्प चुने।

7 फंड्स में से चुनाव करे और ऐसे फंड्स या फंड्स के संयोजनों में निवेश करें जो आपके जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो।

क्रमबद्ध तरीके से अंतरण योजना के माध्यम से साप्ताहिक या मासिक आधार पर इक्विटी बाजार में प्रवेश करने का विकल्प चुने।

एक्सेसः अप्रत्याशित आवश्यकतों के दौरान आंशिक रूप से रकम निकाल कर अपना पैसा पाए।

क्रमबद्ध तरीके से कुछ पैसे निकाल कर अपने विनियोजित जरूरतों को पूरा करे।

भविष्य के लिए टॉप–अप के माध्यम से समान लिखतों में अपना अप्रत्याशित लाभ जोड़े।

प्रतिदानः निवेश बनाए रखने के लिए आवधिक पड़ाव बूस्टर और मैचुरिटी बूस्टर के ज़रिए प्रतिदान पाए।

सुरक्षा का आश्वासनः अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में न्यूनतम भुगतान के रूप में आश्वस्त रकम सुरक्षित करे।

दुर्घटनात्मक मृत्यु के मामले में अतिरिक्त आश्वस्त रकम पाए।

योजना किस प्रकार काम करती है?

श्री अरिजीत त्रेहान एक 35 साल के प्रबंधन परामर्शक हैं जो अपने पैसों की जरूरतों के बारे में चिंता नहीं करते हैं। फिर भी, वे अपने बच्चे की शादी के लिए पर्याप्त पैसों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं और वे एक आरामदायक ओल्ड एज फंड की तलाश शुरू करते हैं।

श्री त्रेहान जी 15 वर्षों की भुगतान अवधि, जो उनके 50 साल के रिटायरमेंट आयु से मिलता है और पड़ावों के साथ मेल के लिए 25 वर्षों की पॉलिसी अवधि सहित अवीवा ऐफ्लुएंस चुनते हैं। वे प्रति वर्ष ₹ 1.5 लाख किस्त देने का फैसला करते हैं।

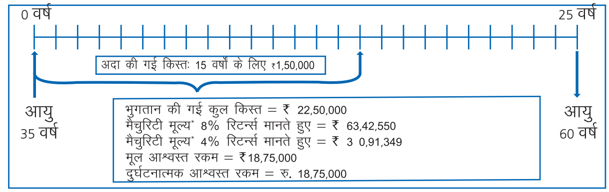

श्री त्रेहान जी अपने बच्चे की शादी के लिए इस रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी का रकम रिटायरमेंट के बाद का लाभ सुरक्षित करने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

आपकी अवीवा ऐफ्लुएंस पॉलिसी संवर्धित करने के लिए विकल्प

टॉप–अपः अपना फंड मूल्य बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ निवेश करने का विकल्प

अतिरिक्त एकमूठ निवेश करने का विकल्प

श्री अरिजीत त्रेहान अपने संगठन के एक मुख्य कर्मचारी हैं और उन्हें एक अच्छी प्रतिधारण बोनस मिलती है। वे अपनी मौजूदा पॉलिसी में इसका निवेश करते हैं और एक नई पॉलिसी खरीदने का लागत भी नहीं उठाना पड़ता है।

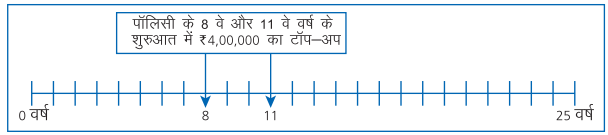

टॉप–अप किस्त के कारण 8% वृद्धि दर के हिसाब से मैचुरिटी मूल्य' ₹21,43,805 (4% वृद्धि दर पर ₹11,41,667 बढ़ जाएगी)।

*4% और 8% प्रति वर्ष के अनुमानित दर पर रिटर्न्स पर मैचुरिटी मूल्य की गारंटी नहीं दी जाती है और यह पॉलिसी धारक द्वारा चुने गए फंड्स के रिटर्न्स की उपरी या निचली सीमा नहीं है और यह कि फंड्स का प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमे भविष्य में निवेशन का प्रदर्शन भी शामिल है।

टॉप–अप किस्तों के लिए महत्वपूर्ण शर्तेः

- टॉप–अप किस्तों में भुगतान की गई टॉप–अप किस्तों का 1.25 गुना आश्वस्त रकम मिलेगा।
- पॉलिसी के आखरी 5 वर्षों को छोड़कर अनुबंध जारी रहने के दौरान किसी भी समय टॉप–अप निवेशन करने की अनुमति है बशर्ते सभी बकाया किस्तों का भुगतान किया गया हो।
- न्यूनतम अनुमेय टॉप–अप किस्त ₹5000 है; कोई अधिकतम सीमा नहीं है; बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग दिशा–निदेशों के अधीन है।
- भुगतान की गई कुल टॉप–अप किस्त टॉप–अप किस्त की तिथि तक भुगतान की गई नियमित किस्तों के रकम से अधिक न हो।
- टॉप–अप किस्त के समय विशेष रूप से उल्लेख न करने पर टॉप–अप किस्तों को नियमित किस्त के समान फंड्स में आवंटित किया जाएगा।
- हर एक टॉप–अप के लिए 5 वर्षों की "एक लॉक–इन अवधि" होगी। इस अवधि के दौरान आंशिक रूप से पैसे निकालने की अनुमति नहीं होगी। निम्न के कारण पॉलिसी समाप्त होने पर लॉक–इन अवधि लागू नहीं होगाः
  - पॉलिसी के पहले पांच वर्षों के बाद पॉलिसी को पूरी तरह से वापस ले लेना
  - बीमित व्यक्ति की मृत्यु

फंड का नाम और उद्देश्य	निवेश का स्वरूप		जोखिम का विवरण
बैलेंस्ड फंड-II [SFIN: ULIF01508/01/2010LIBALAN-II122]: पूंजीगत वृद्धि और स्थिर रिटर्न्स के मध्य एक संतुलन बनाने के लिए।	ऋण MM इक्विटी	25 - 100% 0 – 40% 0 – 45%	मध्यम
बांड फंड-II [SFIN: ULIF01608/01/2010LIFDEBT-II122]: उच्च गुणवत्ता स्थिर आय प्रतिभूतियों में निवेशन के माध्यम से स्थिर प्रतिलाभ पाना।	ऋण MM इक्विटी	60 - 100% 0 – 40% 0%	निम्न
एनहान्सर फंड-II [SFIN: ULIF01708/01/2010LIFENHN-II122]: उच्च इक्विटी एक्सपोज़र सहित आक्रामक, दीर्घ अवधि पूंजीगत वृद्धि प्रदान करना।	ऋण MM इक्विटी	0 - 40% 0 – 40% 60 – 100%	उच्च
ग्रोथ फंड-II [SFIN: ULIF01808/01/2010LIGROWT-II122]: उच्च इक्विटी एक्सपोज़र के साथ दीर्घ अवधि पूंजीगत अभिमूल्यन बनाना।	ऋण MM इक्विटी	0 - 50% 0 – 40% 30 – 85%	उच्च

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड [SFIN: ULIF01908/01/2010LIFEINFRAF122]: अवसंरचनाओं और संबंधित इक्विटी के निवेश के माध्यम से स्थिर रिटर्न्स पाना।	ऋण MM इक्विटी	0 - 40% 0 – 40% 60 – 100%	उच्च
प्रोटेक्टर फंड-II [SFIN: ULIF02108/01/2010LIPROTE-II122]: इक्विटी के न्यूनतम एक्सपोज़र के साथ स्थिर रिटर्न्स पाना।	ऋण MM इक्विटी	25 - 100% 0 – 40% 0 – 20%	निम्न
पीएसयू फंड [SFIN: ULIF02208/01/2010LIFEPSUFND122]: पीएसयू और संबंधित इक्विटी के निवेश के माध्यम से स्थिर रिटर्न्स पाना।	ऋण MM इक्विटी	0 - 40% 0 – 40% 60 – 100%	उच्च

*एमएम का अर्थ है पैसा बाजार और अन्य नकद लिखत।

डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंडः

फंड का नाम और उद्देश्य	संपत्ति का आवंटन	जोखिम का विवरण
डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड [SFIN: ULIF03127/01/2011LIDISCPLCY122] आईआरडीए द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम गारंटी दर प्रदान करना।	MM : 0 to 40% सरकारी प्रतिभूतियांः 60% से 100%	निम्न

*एमएम का अर्थ है पैसा बाजार और अन्य नकद लिखत।

डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड पर लागू ब्याज का वर्तमान न्यूनतम गारंटी दर 4% प्रति वर्ष है।

क्रमबद्ध तरीके से अंतरण योजना (एसटीपी): रुपया लागत औसतन प्राप्त करने का विकल्प

पूर्व–निर्धारित पोर्टफोलियो प्रबंधन तंत्र जब हम आपके पैसे को एक क्रमबद्ध तरीके से निःशुल्क ऋण फंड और इक्विटी फंड के बीच अंतरित करते हैं, तब इक्विटी में निवेश करने का सकल जोखिम घट जाता है।

- यह सुविधा तब उपलब्ध है जब कम से कम 10% किस्त प्रोटेक्टर फंड–II को आवंटित हो।
- यह विशेषता आखरी 2 वर्षों को छोड़कर पॉलिसी के अवधि के दौरान मासिक या साप्ताहिक, जैसा चुना गया हो, आधार पर प्रोटेक्टर फंड–II से एनहान्सर फंड–II का स्वचलित स्विचिंग सक्षम बनाएगी, जो निम्न अनुसार होगाः

साप्ताहिक एसटीपी के मामले में:

सप्ताह 1	सप्ताह 1 के अंत में इकाई का 1/52 वां भाग उपलब्ध
सप्ताह 26	सप्ताह 26 के अंत में इकाई का 1/27 वां भाग उपलब्ध
सप्ताह 52	सप्ताह 52 के अंत में शेष इकाई उपलब्ध

मासिक एसटीपी के मामले में:

माह 1	माह 1 के अंत में इकाई का 1/12 वां भाग उपलब्ध
माह 6	माह 6 के अंत में इकाई का 1/7 वां भाग उपलब्ध
माह 12	माह 12 के अंत में शेष इकाई उपलब्ध

रिवर्स एसटीपी: आखरी 2 वर्षों में (मतलब मैचुरिटी से पहले के 24 महीने) के दौरान फंड्स निम्न तरीके से एनहान्सर फंड–II से प्रोटेक्टर फंड–II में अंतरित हो जाएगाः

माह 1	24 वे माह की शुरुआत में इकाई का 1/24वां भाग उपलब्ध
माह 12	2 वे माह की शुरुआत में इकाई का 1/13वां भाग उपलब्ध
माह 24	आखरी माह की शुरुआत में शेष इकाई उपलब्ध

- प्रोटेक्टर फंड–II से एनहान्सर फंड–II से स्विचिंग की अवधि के दौरान प्रोटेक्टर फंड–II से किसी अन्य फंड में या किसी अन्य फंड से प्रोटेक्टर फंड–II में स्विचिंग की अनुमति नहीं है। इसी तरह, एनहान्सर फंड–II से प्रोटेक्टर फंड–II में स्विचिंग की अवधि के दौरान एनहान्सर फंड–II से किसी अन्य फंड में या किसी अन्य फंड से एनहान्सर फंड–II में स्विचिंग की अनुमति नहीं है।
- एसटीपी के अधीन स्विचिंग निःशुल्क होगा और न्यूनतम स्विचिंग रकम और स्विचिंग के पश्चात न्यूनतम शेष रकम पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- पॉलिसी के शुरुआत से या आखरी तीन पॉलिसी वर्षो को छोड़कर पॉलिसी की वर्षगाँठ पर, पॉलिसी की वर्षगाँठ से कम से कम 30 दिनों पहले एक लिखित सूचना देकर एसटीपी शुरू की जा सकती है।
- पॉलिसी की वर्षगाँठ से कम से कम 30 दिनों पहले एक लिखित सूचना देकर पॉलिसी के किसी भी वर्षगाँठ पर एसटीपी बंद किया जा सकता है। बाद में भी यह विकल्प शुरू किया जा सकता है।
- पॉलिसी धारक ही निवेश का जोखिम वहन करता रहेगा।

स्विचिंगः अपने फंड्स निःशुल्क प्रबंधित करने के लाभ

बाजार के अवसरों को पूंजीकृत करने के लिए फंड्स के बीच स्विचिंग करवाने के लिए हर साल 12 मौके मिलते हैं:

- स्विचिंग, जोखिमों के बदलते स्वरूप या बाजार की बदलती स्थितियों के साथ एक फंड से अन्य फंड में इकाइयों को समायोजित या अंतरित करने का एक मौका है।
- एक पॉलिसी वर्ष के भीतर पहले बारह इकाइयों का स्विचिंग निःशुल्क होगा। अनुपलब्ध स्विचिंग को अगले साल में उपलब्ध नहीं किया जा सकता है।
- उसके बाद स्विचिंग करने पर, अंतरित रकम का 0.50% शुल्क लगेगा, जो प्रति ट्रांसैकसन कम से कम ₹25 और ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 होगा। यह शुल्क उस फंड से काट लिया जाएगा जिसमे इकाइयाँ अंतरित की गई है।

प्रीमियम रीडायरेक्शनः अपने भविष्य के किस्तों का निवेशन स्वरूप बदलने की आज़ादी

बाजार के उतार–चढ़ाव का अच्छा लाभ उठाएं।

- भविष्य के किस्तों का पॉलिसी के अधीन विभिन्न फंड्स में आवंटन समानुपात संशोधित करने की अनुमति देता है।
- एक बार अनुरोध स्वीकार हो जाने पर, पिछला आवंटन स्वरूप अप्रभावकारी हो जाएगा।
- यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

पार्शियल विदड्रॉलः अप्रत्याशित वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए अपना पैसा पाए

आपको अपने फंड से आंशिक रूप से रकम निकालने की अनुमति देकर नकद की समस्याओं का समाधान करता है।

श्री अरिजीत त्रेहान, पॉलिसी की अवधि के दौरान अपने माता–पिता की विदेश यात्रा के वित्तपोषण के लिए आंशिक रूप से दो बार रकम निकालने का विकल्प चुनते हैं।

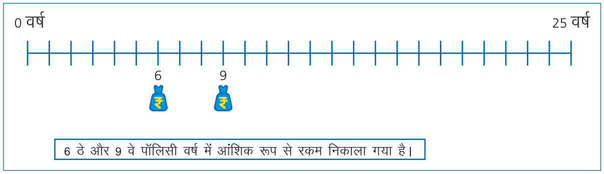

- यदि बीमित व्यक्ति 18 साल (पिछला जन्मदिन) का हो गया हो, तो एक पॉलिसी वर्ष में 4 बार तक रकम निकालने की अनुमति है। अनुपलब्ध विथड्रावल को अगले वर्ष में उपलब्ध नहीं किया जा सकता है।
- पहले पांच पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने पर नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य से रकम निकालने की अनुमति है।
- टॉप–अप किस्त से संबंधित फंड मूल्य में से रकम निकालने के मामले में प्रत्येक टॉप–अप किस्त के भुगतान की तिथि से 5 वर्षों के बाद इसकी अनुमति है।
- पहले टॉप–अप किस्त से संबंधित फंड मूल्य, यदि हो और इसके पात्र हो, से आंशिक रकम निकाला जाएगा और फिर उसके बाद नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य से रकम निकाला जाएगा।
- निकाली जाने वाली न्यूनतम आंशिक रकम ₹5000 है।
- नियमित किस्त इकाइयों के फंड मूल्य से रकम निकालने के बाद इसमें मौजूद रकम वार्षिक किस्त के दुगने से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम शेष रकम की शर्त टॉप–अप किस्त से संबंधित फंड मूल्य से रकम निकालने पर लागू नहीं होती है।
- यदि बीमित व्यक्ति के मृत्यु के समय उसकी आयु 60 साल से कम है, तो पिछले 2 वर्षों के दौरान निकाली गई आंशिक रकम/क्रमबद्ध तरीके से निकाली गई आंशिक रकम को मूल आश्वस्त रकम से काट लिया जाएगा और इस सूत्र के अनुसार देय मृत्यु लाभ की गणना की जाएगी।
- यदि बीमित व्यक्ति के मृत्यु के समय उसकी आयु 60 साल से अधिक है, तो बीमित व्यक्ति द्वारा 58 साल की आयु के बाद निकाली गई समस्त आंशिक रकम/ क्रमबद्ध तरीके से निकाली गई समस्त आंशिक रकम को मूल आश्वस्त रकम से काट लिया जाएगा और इस सूत्र के अनुसार देय मृत्यु लाभ की गणना की जाएगी।

सिस्टमैटिक पार्शियल विदड्रॉलः कई खर्च उठाने के लिए भी आपके पास लाभ का एक विकल्प उपलब्ध है

एक बार लिखित–अनुरोध जमा कर क्रमबद्ध विथड्रावल के साथ अपनी विनियोजित जरूरतें पूरी करें।

श्री अरिजीत त्रेहान जी अपने बच्चे की आगामी शिक्षा, जैसे कि टुटोरिअल और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तैयारी की जरूरतों को पूरी करने के लिए सिस्टमेटिक पार्शियल विथड्रावल का उपयोग कर सकते हैं।

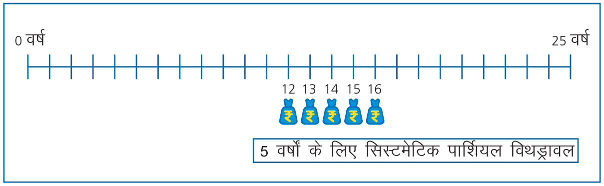

- पहले पांच पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने के बाद, किन्तु मैचुरिटी से पहले आखरी 3 पॉलिसी वर्षों को छोड़कर पॉलिसी की अवधि के दौरान कभी भी करने की अनुमति है, बशर्ते अनुरोध के समय फंड मूल्य ₹5,00,000 या अधिक हो।
- भुगतान की अवधि 3 वर्ष से लेकर बकाया पॉलिसी अवधि तक कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है।
- सिस्टमेटिक विथड्रावल के प्रति भुगतान प्राप्त करने के लिए वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, तिमासिक या मासिक आवृत्ति का विकल्प चुना जा सकता है।
- आपको जिस माह से रकम निकलवाना चाहते है, उस माह से कम से कम 15 दिन पहले अनुरोध अनुरोध ग्रहण किया जाता है।
- प्रति वर्ष 3% और 12% फंड मूल्य के रकम तक ही रकम निकालने की अनुमति है। यदि बार–बार रकम निकाला जाता है, तो अधिकतम रकम समानुपाती रूप से घट जाएगी।
- विथड्रावल शुरू होने पर, प्रति वर्ष कम से कम ₹15,000 निकालने का अनुरोध मिलना चाहिए।
- भुगतान के सभी मोड्स के लिए सीधा क्रेडिट/ईसीएस उपलब्ध है। केवल वार्षिक और अर्ध–वार्षिक भुगतान मोड्स के लिए चेक द्वारा भुगतान की अनुमति है।
- सभी भुगतान बकाया रकम से की जाएगी।
- यदि भुगतान की अवधि के दौरान, कभी–भी फंड मूल्य पहले साल के वार्षिकृत किस्त के दुगने से कम हो जाती है, तो सिस्टमेटिक पार्शियल विथड्रावल बंद हो जाएगा और मानक नियम और शर्तों के अनुसार पॉलिसी जारी रहेगी।
- यदि बीमित व्यक्ति के मृत्यु के समय उसकी आयु 60 साल से कम है, तो पिछले 2 वर्षों के दौरान निकाली गई आंशिक रकम/क्रमबद्ध तरीके से निकाली गई आंशिक रकम को मूल आश्वस्त रकम से काट लिया जाएगा और इस सूत्र के अनुसार देय मृत्यु लाभ की गणना की जाएगी।
- यदि बीमित व्यक्ति के मृत्यु के समय उसकी आयु 60 साल से अधिक है, तो बीमित व्यक्ति द्वारा 58 साल की आयु के बाद निकाली गई समस्त आंशिक रकम/ क्रमबद्ध तरीके से निकाली गई समस्त आंशिक रकम को मूल आश्वस्त रकम से काट लिया जाएगा और इस सूत्र के अनुसार देय मृत्यु लाभ की गणना की जाएगी।
- पॉलिसी की अवधि के दौरान उपरोक्त शर्तों के अधीन इस विकल्प को कभी–भी शुरू या बंद किया जा सकता है।

योजना के लाभः

मैचुरिटी लाभः अपनी कटिबद्धता को पूर्ण करने के इनाम का आनंद पाए

- मैचुरिटी तक जीवित रहने पर नियमित किस्त, टॉप–अप किस्त, यदि हो, से संबंधित फंड मूल्य और अतिरिक्त मैचुरिटी बूस्टर पाए।
- अतिरिक्त मैचुरिटी बूस्टर की गणना निम्न तालिका के अनुसार, नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती हैः

किस्त भुगतान अवधि	सीमित / नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त मैचुरिटी बूस्टर
5	0.60%
7	0.65%
10	0.70%
15	0.75%
16 और अधिक	0.80%

- अतिरिक्त मैचुरिटी बूस्टर आदत्त पॉलिसी समेत मैचिरिटी पाने वाले सभी पॉलिसियों पर देय है।

मृत्यु लाभः आपके परिवार के प्रति आपकी कटिबद्धता सर्वोपरि है

- बीमित व्यक्ति के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को आश्वस्त रकम या नियमित किस्त से संबंधित फंड मूल्य या भुगतान की गई नियमित किस्तों का 105%, तीनों में से जो भी सबसे अधिक हो, मिलेगा।
- यदि पॉलिसी में टॉप–अप किस्तों का भुगतान किया गया था, तो नामांकित व्यक्ति को अतिरिक्त टॉप–अप आश्वस्त रकम या टॉप–अप किस्त से संबंधित फंड मूल्य या भुगतान की गई नियमित किस्तों का 105%, तीनों में से जो भी सबसे अधिक हो, मिलेगा।
- यदि पॉलिसी के अवधि के दौरान, बीमित व्यक्ति की 18 से 60 साल की आयु में किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो दुर्घटनात्मक मृत्यु लाभ के रूप में अतिरिक्त भुगतान भी देय होगा। दुर्घटनात्मक मृत्यु आश्वस्त रकम पॉलिसी के सारणी में निहित होगी।

कृपया ध्यान दें:

यदि बीमित व्यक्ति के मृत्यु के समय उसकी आयु 60 साल से कम है, तो पिछले 2 वर्षों के दौरान निकाली गई आंशिक रकम/ क्रमबद्ध तरीके से निकाली गई आंशिक रकम को मूल आश्वस्त रकम से काट लिया जाएगा और इस सूत्र के अनुसार देय मृत्यु लाभ की गणना की जाएगी।

यदि बीमित व्यक्ति के मृत्यु के समय उसकी आयु 60 साल से अधिक है, तो बीमित व्यक्ति द्वारा 58 साल की आयु के बाद निकाली गई समस्त आंशिक रकम/ क्रमबद्ध तरीके से निकाली गई समस्त आंशिक रकम को मूल आश्वस्त रकम से काट लिया जाएगा और इस सूत्र के अनुसार देय मृत्यु लाभ की गणना की जाएगी।

यदि एक पॉलिसी को रोका जाता है, कंपनी छूट की अवधि समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी धारक को ऐसी सूचना मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी रिवाइव करने की सूचना भेजेगी। इस अवधि के दौरान पॉलिसी को पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण जोखिम कवर के साथ पूर्णतया प्रभावकारी समझा जाएगा और इस अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित मृत्यु लाभ देय होगा।

यदि पॉलिसी डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में अंतरित होती है, और बीमित व्यक्ति की मृत्यु उसके बाद होती है, तो नामांकित व्यक्ति को डिसकंटिन्यूड पॉलिसी का रकम देय होगा।

इनक्रीजिंग माइलस्टोन बूस्टर (आईएमबी): निवेश बनाए रखना प्रतिदेय है

निश्चित किस्तों का भुगतान करते हुए पॉलिसी जारी रखने पर यह योजना "इनक्रीजिंग माइलस्टोन बूस्टर" (आईएमबी) प्रदान करता है। आईएमबी की अतिरिक्त रकम नियमित किस्तों से संबंधित फंड मूल्य का प्रतिशत है और निम्न शर्तों के अधीन यह फंड मूल्य के साथ जुड़ जाता हैः

- आईएमबी आवंटन की तिथि तक बीमित व्यक्ति का जीवित रहना।
- आईएमबी मैचुरिटी की तिथि से मेल खाती पॉलिसी वर्षगाँठ के लिए लागू नहीं है।
- अतिरिक्त आईएमबी टॉप–अप किस्तों, यदि हो, से संबंधित फंड मूल्य पर लागू नहीं है।
- आईएमबी निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगाः

पॉलिसी के वर्षगाँठ पर	सीमित/ नियमित किस्तों से संबंधित फंड मूल्य के प्रतिशत के रूप में आईएमबी
10th	0.50%
15th	0.55%
20th	0.60%
25th	0.65%

- उपरोक्त तालिका में दी गई आईएमबी की प्रतिशत की गारंटी है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- पॉलिसी के वर्षगाँठ, अर्थात संबंधित पॉलिसी वर्ष के शुरुआत में पिछले पॉलिसी वर्ष के फंड मूल्य के आधार पर आईएमबी आवंटित किया जाएगा।

कर लाभः

- यह उत्पाद आय कर अधिनियम, 1961 के विभिन्न उपबंधों में निर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि के अधीन निहित कटौतियों और अन्य लाभों के पात्र है। कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने कर परामर्शक से सलाह लें। कर विधियां परिवर्तन के अधीन है।

शुल्क:

किस्त आवंटन शुल्क

- यह शुल्क भुगतान की गई किस्त से काट लिया जाता है और शुल्क की कटौती के बाद शेष रकम को निवेश किया जाता है। यह शुल्क उस वर्ष पर निर्भर करता है जिसका किस्त दिया जा रहा है।

पॉलिसी वर्ष	किस्त आवंटन शुल्क	
	नियमित किस्त	टॉप–अप किस्त
1st	9%	2%
2nd	7%	
3rd से10th	6%	
11 वीं के बाद से	2%	

फंड प्रबंधन शुल्क:

दैनिक आधार पर एनएवी की गणना करते समय सभी फंड्स पर फंड प्रबंधन शुल्क (ऍफ़एमसी) लागू होगाः

- डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के अलावा सभी फंड्स के लिए ऍफ़एमसी 1.35% प्रति वर्ष होगी।
- डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड प्रबंधन शुल्क के लिए ऍफ़एमसी 0.50% प्रति वर्ष होगी।

योग्यता

<table>
<tr><td>प्रवेश की आयु
(पिछला जन्मदिन)</td><td>न्यूनतमः 2 वर्ष
अधिकतमः 50 वर्ष</td></tr>
<tr><td>मैचुरिटी की आयु
(पिछला जन्मदिन)</td><td>मैचुरिटी की न्यूनतम आयुः 18 वर्ष
मैचुरिटी की अधिकतम आयु किस्तों के भुगतान की अवधि (पीपीटी) पर निर्भर है
<table>
<tr><th>किस्तों के भुगतान की अवधि (पीपीटी)</th><th>मैचुरिटी की अधिकतम आयु</th></tr>
<tr><td>5 वर्ष</td><td>60 वर्ष</td></tr>
<tr><td>7/10/15 वर्ष</td><td>65 वर्ष</td></tr>
<tr><td>16 to 30 वर्ष</td><td>70 वर्ष</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>पॉलिसी की अवधि</td><td>15 से 30 वर्ष, मैचुरिटी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के अधीन</td></tr>
<tr><td>किस्तों के भुगतान की अवधि (पीपीटी)</td><td>5/7/10/15 वर्ष या पॉलिसी के शर्तों के समान</td></tr>
<tr><td>किस्त</td><td>नियमित किस्तः
न्यूनतमः ₹1,00,000
अधिकतमः कोई सीमा नहीं है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग के अधीन
टॉप–अप किस्तः
न्यूनतमः ₹5,000
अधिकतमः कोई सीमा नहीं है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग के अधीन
टॉप–अप किस्तों का कुल योग भुगतान की जाने वाली नियमित किस्तों से अधिक न हो</td></tr>
<tr><td>आश्वस्त रकम</td><td>आश्वस्त रकम वार्षिक किस्तों का गुणज है और यह पॉलिसी की अवधि और आयु पर निर्भर करता हैः
न्यूनतम आश्वस्त रकमः
<table>
<tr><th>बीमित व्यक्ति के प्रवेश की आयु (पिछला जन्मदिन)</th><th>आश्वस्त रकम का गुणज</th></tr>
<tr><td><45 वर्ष</td><td>10 या 0.5* पॉलिसी की अवधि जो भी अधिक हो</td></tr>
<tr><td>>=45 वर्ष</td><td>10</td></tr>
</table>
टॉप–अप किस्तों की आश्वस्त रकमः टॉप–अप किस्त का 1.25 गुना
अधिकतम आश्वस्त रकमः
<table>
<tr><th>बीमित व्यक्ति के प्रवेश की आयु (पिछला (जन्मदिन)</th><th>पीपीटी (वर्षों में)</th><th>अधिकतम आश्वस्त रकम का गुणज</th></tr>
<tr><td rowspan="2"><45 वर्ष</td><td>5, 7 & 10</td><td>10 या 0.5* पॉलिसी की अवधि, जो भी अधिक हो</td></tr>
<tr><td>15 से 30</td><td>पॉलिसी की अवधि के समान</td></tr>
<tr><td rowspan="2">>=45 वर्ष</td><td>5,7 & 10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>15 से 30</td><td>(पॉलिसी की अवधि आश्वस्त गुणज) के समान</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>इन–बिल्ट दुर्घटनात्मक मृत्यु बेनिफिट</td><td>इन–बिल्ट दुर्घटनात्मक मृत्यु में अविवा द्वारा जारी की गई समस्त मौजूदा दुर्घटनात्मक मृत्यु बेनिफिट कवर समेत अधिकतम ₹50 लाख की आश्वस्त रकम के अधीन मूल आश्वस्त रकम के समान होगा।</td></tr>
<tr><td>किस्तों के भुगतान की आवृत्ति</td><td>केवल वार्षिक</td></tr>
</table>

महत्वपूर्ण नियम जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए

1. लॉक–इन अवधिः

लॉक–इन अवधि का मतलब है पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से लगातार पांच वर्षों की अवधि, जिसके दौरान कंपनी बीमित व्यक्ति के मृत्यु के अलावा किसी अन्य मामले में पॉलिसी धारक या बीमित व्यक्ति, जैसा मामला हो, को डिसकंटिन्यूड पॉलिसियों के लाभों का भुगतान नहीं कर सकती है।

2. नाबालिग बच्चों के जीवन के लिए कवरः

- यदि पॉलिसी की शुरुआत की तिथि को जीवन बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है, तो वह

पॉलिसी प्रशासन शुल्क

- पॉलिसी के इकाइयों के खाते से इकाइयों के मासिक पुनर्लाभ द्वारा यह शुल्क लिया जाएगा।
- पॉलिसी के अवधि के दौरान निम्न तालिका के अनुसार पॉलिसी प्रशासन शुल्क लागू होगाः

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी प्रशासन शुल्क (प्रति माह)
प्रथम	शून्य
द्वितीय से पांचवे	वार्षिक किस्त का 0.02%
छठे	वार्षिक किस्त का 0.20%

- पॉलिसी प्रशासन शुल्क, जो वार्षिक किस्त का 0.02% रकम प्रति माह है, 7 वें पॉलिसी वर्ष के बाद से पॉलिसी के हर एक वर्षगाँठ पर प्रति वर्ष 2.50% से बढ़ाया जाएगा।
- यह शुल्क ₹400 प्रति माह से अधिक नहीं होगा।

मृत्यु शुल्कः

- मृत्यु शुल्क जोखिम के अधीन रकम पर लागू होगा, जो देय मृत्यु लाभ की रकम घटाव मूल और टॉप–अप के लिए अलग से इस शुल्क की कटौती पर फंड मूल्य के समान है।
- पॉलिसी इकाई खाते से इकाइयों के मासिक पुनर्लाभ द्वारा यह शुल्क काटा जाएगा।
- स्वस्थ्य बीमित व्यक्ति के लिए आश्वस्त रकम के प्रत्येक हज़ार रुपयों के लिए वार्षिक शुल्कों का नमूनाः

आयु	25	30	35	40
पुरुष	0.7910	0.8556	1.0560	1.5046
महिला	0.7736	0.8200	0.9524	1.2864

- उपरोक्त मृत्यु शुल्क के अतिरिक्त इन–बिल्ट दुर्घटनात्मक मृत्यु लाभ, यदि लागू हो, के लिए दुर्घटनात्मक मृत्यु आश्वस्त रकम के प्रति 1000 रुपयों के लिए रु. 0.60 का शुल्क लिया जाएगा।

विरति शुल्कः

- यदि पहले 5 वर्षों के भीतर पॉलिसी में विरति लाइ जाती है तो पॉलिसी इकाई खाते से यह शुल्क काटा जाएगा।

जहाँ पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी	विरति शुल्क रोका जाता है
पहला	अधिकतम ₹6000 के अधीन (एपी* या फंड मूल्य) के 6% में से जो कम हो
दूसरा	अधिकतम ₹5000 के अधीन (एपी या फंड मूल्य) के 4% में से जो कम हो
तीसरा	अधिकतम ₹4000 के अधीन (एपी या फंड मूल्य) के 3% में से जो कम हो
चौथा	अधिकतम ₹2000 के अधीन (एपी या फंड मूल्य) के 2% में से जो कम हो
पांचवा और उसके बाद से	शून्य

*एपीः वार्षिक किस्त

टॉप–अप किस्त, यदि हो, से संबंधित फंड मूल्य पर कोई विरति शुल्क नहीं होगा।

स्विचिंग शुल्कः

एक पॉलिसी वर्ष के भीतर पहले बारह इकाइयों का स्विचिंग निःशुल्क होगा। उसके बाद स्विचिंग करने पर, अंतरित रकम का 0.50% शुल्क लगेगा, जो प्रति ट्रांसैकसन कम से कम ₹25 और ज्यादा से ज्यादा ₹500 होगा।

मिश्रित शुल्कः

करों में वस्तु एवं सेवा कर, उपकर शामिल है लेकिन इन तक सीमित नहीं है और सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार ये प्रयोज्य कर लागू किए जाएंगे। कर की विधियां परिवर्तन के अधीन है।

शुल्कों की गारंटीः

इस अनुबंध के अधीन पॉलिसी प्रशासन शुल्क, मृत्यु शुल्क, किस्त आवंटन शुल्क, स्विचिंग शुल्क, और विरति शुल्क की गारंटी है।

डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड प्रबंधन शुल्क भारत के आईआरडीए द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निदेशों के अनुसार बदल सकती है।

डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड वर्तमान लागू न्यूनतम गारंटी ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है।

पॉलिसी धारक किस्तों का भुगतान करेगा जो बीमित व्यक्ति का माता/पिता या दादा/दादी या कानूनी अभिभावक हो। किस्तों के भुगतान की अवधि पूर्ण होने से पहले पॉलिसी धारक की मृत्यु की घटना में बीमित व्यक्ति के जीवित माता/पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा भविष्य के किस्तों का भुगतान किया जाएगा। यदि बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है और यदि भविष्य के किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विरति प्रावधान लागू होगा।

- पॉलिसी धारक के मृत्यु के घटना में, जहाँ बीमित व्यक्ति एक नाबालिग है, वहां कंपनी द्वारा मांगे गए आवश्यक आवेदन और समर्थनकारी दस्तावेज जमा करने पर पॉलिसी बीमित व्यक्ति के माता/पिता/कानूनी अभिभावक में निहित होगी।
- बीमित व्यक्ति के 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पॉलिसी स्वचालित रूप से बीमित व्यक्ति में निहित होगी।
- पॉलिसी के शुरुआत की तिथि से तत्काल जोखिम भी आरम्भ हो जाएगा।

3. फ्री लुक अवधिः

पॉलिसी दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार। यदि पॉलिसी वॉइस साधन (जिसके टेलीफोन कॉल शामिल है), लघु सन्देश सेवा (एसएमएस), इलेक्ट्रॉनिक साधन (जिसमे ई-मेल, इंटरनेट और इंटरेक्टिव टेलीविज़न (डीटीएच) शामिल है), भौतिक साधन (जिसमे प्रत्यक्ष डाक चिट्ठी, अख़बारों और पत्रिकाओं के साथ आने वाले विज्ञापन शामिल है), और व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के अलावा संवाद के किसी भी अन्य साधनों से अनुरोध के माध्यम से बेची गई है, तो फ्री लुक अवधि 30 दिनों की होगी।

यदि आप उनमे से किसी भी नियमों और शर्तों से असहमत हैं, तो आपके पास अपनी आपत्ति का कारण दर्शाते हुए पॉलिसी वापस करने का विकल्प है। आपको पॉलिसी रद्द करने की तिथि को फंड मूल्य सहित अनावंटित क़िस्त (आवंटन शुल्क) सहित इकाइयों के रद्दीकरण के कारण काटा गया कोई शुल्क घटाव कवर की गई अवधि के लिए समानुपाती जोखिम शुल्क घटाव चिकित्सीय जांचों पर वहन की गई खर्च, यदि हो तो, और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वापस पाने का अधिकार होगा।

पॉलिसी की नियम और शर्तें हमारे वेबसाइटः www.avivaindia.com पर उपलब्ध है।

4. छूट की अवधिः किस्तों का भुगतान करने के लिए 30 दिनों की छूट की अवधि होती है।

5. पॉलिसी में विरतिः

"विरति" का मतलब है पॉलिसी का समर्पण करने या इस भाग में परिभाषित सूचना अवधि समाप्त होने से पहले देय अनुबंधिक किस्तों का भुगतान न करने पर पॉलिसी की प्रस्तुत होने वाली स्थिति।

"पॉलिसी के विरति की तिथि" वह तिथि होगा जिस दिन कंपनी को पॉलिसी धारक से पॉलिसी समाप्त के बारे में या पॉलिसी का समर्पण करने के बारे में सूचना मिलेगी या सूचना अवधि समाप्त होगी, जो भी शीघ्र हो।

"डिसकंटिन्यूड पॉलिसी का फंड" का अर्थ है कंपनी की पृथक निधियां जिसे अलग से रखा गया है और जिसमे सभी डिसकंटिन्यूड पॉलिसियों का प्रचलित विनियमनों के अनुसार निर्धारित फंड मूल्य शामिल है। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के निवेश की संरचना इस दस्तावेज के निवेश विकल्प भाग में उल्लिखित है।

"डिसकंटिन्यूड पॉलिसी से लाभ" का अर्थ है डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड का फंड मूल्य जो मृत्यु/रिवाइवल/समर्पण (जैसा लागू हो) पर देय है।

लॉक-इन अवधि के दौरान पॉलिसी में विरति

जहाँ छूट की अवधि समाप्त होने से पहले देय अनुबंधिक किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, कंपनी छूट की अवधि समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी धारक को ऐसी सूचना मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंतर्गत निम्न में से एक विकल्प चुनने के लिए एक सूचना भेजेगीः

i. दो वर्षों की अवधि के भीतर पॉलिसी को रिवाइव करना; या

ii. किसी जोखिम कवर के बिना पॉलिसी को पूर्ण रूप से वापस ले लेना।

जब तक पॉलिसी धारक अपना विकल्प नहीं चुन लेता या 30 दिनों की सूचना अवधि समाप्त होने तक, जो भी जल्दी हो, पॉलिसी का फंड मूल्य चुने गए पृथक फंड का भाग होगा। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार सम्पूर्ण जोखिम कवर के साथ प्रभाव में समझा जाएगा।

यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी को रिवाइव करने का उपरोक्त विकल्प (i) चुनता है, और पॉलिसी रिवाइव हो जाती है, तो जोखिम कवर को रिवाइव की तिथि से रिस्टोर किया जाएगा। रिवाइवल के समय, कंपनीः

i. पॉलिसी रुकने की तिथि को पॉलिसी धारक द्वारा चुने गए समानुपात में रिवाइवल की तिथि के एनएवी पर पृथक फंड को इकाई आवंटित करने के लिए डिसकंटिन्यूड पॉलिसी इकाइयों के आयों का उपयोग करेगी।

ii. बिना कोई ब्याज या शुल्क लागू कर सभी बकाया और अदत्त किस्त एकत्रित करेगी

iii. विरति अवधि के दौरान पॉलिसी प्रशासन शुल्क और किस्त आवंटन शुल्क, जैसा लागू हो, लागू करेगी। कोई अन्य शुल्क लागू नहीं किया जाएगा।

iv. पृथक फंड में पॉलिसी में विरति के समय काटा गया विरति शुल्क पुनः जोड़ना होगा और पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी में विरति की तिथि को चुने गए समान समानुपात में पृथक फंड में ऐसी रिवाइवल की तिथि को इस रकम का उपयोग एनएवी पर इकाइयों के आवंटन के लिए किया जाएगा।

यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी रिवाइव करने का उपरोक्त विकल्प (i) चुनता है लेकिन अब तक पॉलिसी रिवाइव नहीं हुई है, तो पॉलिसी रिवाइव होने तक, जो पहले हो, रिवाइवल अवधि समाप्त होने तक फंड डिसकंटिन्यूड पॉलिसी के फंड में ही रहेगा। यदि रिवाइवल अवधि के दो वर्षों की अवधि के दौरान पॉलिसी रिवाइव नहीं होती है, तो रिवाइवल अवधि या लॉक-इन अवधि, जो भी बाद में हो, समाप्त हो जाने के बाद पॉलिसी धारक को डिसकंटिन्यूड पॉलिसी से प्राप्त आयों का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यदि लॉक-इन अवधि रिवाइवल अवधि से पहले समाप्त हो जाती है, तो पॉलिसी धारक को डिसकंटिन्यूड पॉलिसी से लाभ प्राप्त करने के लिए निवेदन करने का विकल्प होगा, जो पॉलिसी धारक को तत्काल प्रदान किया जाएगा, और इसके साथ पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

यदि पॉलिसी धारक 30 दिनों की सूचना अवधि के भीतर पॉलिसी सम्पूर्ण वापसी का उपरोक्त विकल्प (ii) चुनता है या उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं चुनता है, तो यह समझा जाएगा कि पॉलिसी धारक ने किसी जोखिम कवर के बिना सम्पूर्ण वापसी का विकल्प चुना है और पॉलिसी को समाप्त समझा जाएगा। पॉलिसी रुकने की तिथि पर लागू विरति शुल्क काटने के बाद पॉलिसी का फंड मूल्य डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में डलवा दी जाएगी। केवल लॉक-इन अवधि समाप्त होने पर ही डिसकंटिन्यूड पॉलिसी से प्राप्त लाभ वापस किया जाएगा।

लॉक-इन अवधि के बाद विरति

जहाँ छूट की अवधि समाप्त होने से पहले देय अनुबंधिक किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, कंपनी छूट की अवधि समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के अंतर्गत पॉलिसी धारक को ऐसी सूचना मिलने से 30 दिनों की अवधि के अंतर्गत निम्न में से एक विकल्प चुनने के लिए एक सूचना भेजेगीः

i. दो वर्षों की अवधि के भीतर पॉलिसी को रिवाइव करना; या

ii. किसी जोखिम कवर के बिना पॉलिसी को पूर्ण रूप से वापस ले लेना, या

iii. पॉलिसी को पेड-अप पॉलिसी में परिवर्तित करना, जहाँ आदत्त आश्वस्त रकम आश्वस्त रकम गुणन भुगतान की गई किस्तों की कुल संख्या विभाजन देय किस्तों की संख्या होगी। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी को पेड-अप पॉलिसी में परिवर्तित करने का विकल्प चुनता है, तो बीमित व्यक्ति के मृत्यु पर मिलने वाला लाभ वह होगा जो निम्नलिखित में से सबसे अधिक होः

  क) पेड-अप आश्वस्त रकम; या

  ख) फंड मूल्य; या

  ग) भुगतान की गई कुल किस्तों का 105%

यदि पॉलिसी में टॉप-अप किस्तों का भुगतान किया गया था, तो टॉप-अप आश्वस्त रकम या टॉप-अप के संबंध में फंड मूल्य या भुगतान की गई टॉप-अप किस्तों का 105% रकम, तीनों में से जो भी सबसे अधिक हो, का अतिरिक्त भुगतान होगा।

जब तक पॉलिसी धारक अपना विकल्प न चुन ले या 30 दिनों की सूचना अवधि समाप्त होने तक, जो भी जल्दी हो, तब तक सम्पूर्ण जोखिम कवर सहित पॉलिसी का फंड मूल्य चुने गए पृथक फंड का हिस्सा बना रहेगा।

पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (i) चुनता हैः

- पॉलिसी धारक पॉलिसी रिवाइव करने का उपरोक्त विकल्प (i) चुन सकता है। ऐसे रिवाइवल के समय तक, पॉलिसी सम्पूर्ण जोखिम कवर के साथ बनी रहेगी और सभी शुल्क कटते रहेंगे। रिवाइवल के समय, कंपनी कोई ब्याज या शुल्क लिए बिना किसी बकाया शुल्क समेत सभी बकाया और अदत्त क़िस्त एकत्रित करेगी।
- यदि सूचना अवधि समाप्त होने से 2 वर्षों के भीतर पॉलिसी रिवाइव नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (ii) के समान पॉलिसी का समर्पण करने, या उपरोक्त विकल्प (iii) के समान आदत्त पॉलिसी के रूप में पॉलिसी जारी रखने का विकल्प चुन सकता है। यदि पॉलिसी 2 वर्षों की रिवाइवल अवधि समाप्त होने पर धारक इनमे से कोई भी विकल्प नहीं चुनता है, तो यह समझा जाएगा कि पॉलिसी धारक में समर्पण का विकल्प चुना है और रिवाइवल अवधि समाप्त होने की तिथि का फंड मूल्य भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (ii) चुनता हैः

- यदि पॉलिसी धारक 30 दिनों की सूचना अवधि के भीतर उपरोक्त विकल्प (पप) चुनता है या उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं चुनता है, तो यह समझा जाएगा कि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी सम्पूर्ण रूप से वापस लेने का विकल्प चुना है और कंपनी पॉलिसी धारक को सूचना अवधि समाप्त होने की तिथि का फंड मूल्य प्रदान करेगी, और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (iii) चुनता हैः

- पॉलिसी धारक उपरोक्त विकल्प (iii) चुन सकता है जिसके तहत वह आदत्त पॉलिसी के रूप में पॉलिसी जारी रख सकता है। भुगतान की गई किस्तों की संख्या समानुपात पॉलिसी के तहत देय किस्तों की संख्या के अनुसार आश्वस्त रकम में कटौती की जाएगी।

- दुर्घटनात्मक मृत्यु के मामले में आश्वस्त रकम घटाई गई बेस आश्वस्त रकम के समान होगी और जो अधिकतम ₹50 लाख हो सकती है।
- घटाई गई आश्वस्त रकम के अनुसार मृत्यु शुल्क लागू होगा। बाकी के अन्य सभी शुल्क पूरी तरह से काटे जाते रहेंगे।
- पॉलिसी धारक अब भी पॉलिसी रिवाइव कर सकता है बशर्ते सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि से 2 वर्षों की रिवाइवल अवधि समाप्त न हुई हो। रिवाइवल के समय, कंपनी कोई ब्याज या शुल्क लिए बिना सभी बकाया शुल्कों समेत सभी बकाया और अदत्त क़िस्त एकत्रित करेगी और मूल रकम रिस्टोर हो जाएगा।

6. कुल संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणनाः समय–समय पर जारी किए गए आईआरडीएआई के दिशा–निदेशों के अनुसार एनएवी की गणना दैनिक आधार पर किया जाएगा। आईआरडीएआई की मौजूदा दिशा–निदेशों के अनुसार, फंड के एनएवी की गणना निम्न अनुसार की जाएगीः

$$\frac{\text{फंड द्वारा धारित निवेश का विपणन मूल्य+वर्तमान संपत्ति का मूल्य–वर्तमान देयताओं और प्रावधानों, यदि हो तो का मूल्य}}{\text{मूल्यांकन की तिथि को मौजूद इकाइयों की संख्या (इकाइयों के निर्माण/पुनः प्राप्ति से पहले)}}$$

7. पॉलिसी शुरू होने की तिथि की एनएवी के आधार पर पहली किस्त आवंटित की जाएगी।

8. नियत तिथि पर किस्तों का समायोजन किया जाएगा फिर चाहे यह पेशगी के तौर पर ही मिला हो। इसके अलावा, अविवा पॉलिसी की सारणी के कथित निर्दिष्ट नियमित देय किस्त से कम रकम स्वीकार नहीं करेगा।

9. कट–ऑफ समय से प्राप्त ट्रांसैकसन अनुरोध (जिसमे बदलाव, वापसी, समर्पण और स्थानीय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, स्विचेस इत्यादि के माध्यम से किस्तों का नवीनीकरण शामिल है) को उसी दिन के एनएवी में शामिल किया जाएगा और कट–ऑफ समय के बाद प्राप्त ट्रांसैकसन अनुरोध को अगले दिन के एनएवी में शामिल किया जाएगा। कट–ऑफ समय आईआरडीएआई द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निदेशों के अनुसार होगा, वर्तमान जो दोपहर के 3:00 बजे है। आउटस्टेशन चेक के ज़रिए प्राप्त किस्तों के लिए, क्लियरेंस तिथि या नियत तिथि, जो भी बाद में हो, लागू होगा।

10. अवीवा के तरफ से इस पॉलिसी पर ऋण का कोई प्रावधान नहीं है।

11. बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग आवश्यकतों और समस्त अदत्त देय किस्तों के भुगतान पर पॉलिसी का रिवाइवल होगा।

12. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 और 39 के उपबंधों के अधीन समनुदेशन और नामांकन की अनुमति है।

13. अवीवा जोखिमों की स्वीकृति और पूरी किस्त मिलने तक किसी भी दावे के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी।

अपवादः

आत्महत्या के कारण मृत्युः

- पॉलिसी के शुरुआत की तिथि या पॉलिसी के रिवाइवल की तिथि से 12 महीनों के अंतर्गत आत्महत्या के कारण मृत्यु होने के मामले में, नामांकित व्यक्ति मृत्यु की तिथि को उपलब्ध फंड मूल्य पाने का अधिकारी होगा।
- नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ समेत मृत्यु की तिथि के बाद वसूला गया कोई शुल्क वापस लौटाया जाएगा।
- उक्त फंड मूल्य का भुगतान करने के लिए पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

दुर्घटना के कारण मृत्युः

पॉलिसी की अवधि के दौरान दुर्घटनात्मक मृत्यु के कारण अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटनात्मक मृत्यु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्न द्वारा हुई होः

i. शराब का सेवन, या

ii. दवाओं का दुरुपयोग जिसमे एक चिकित्सीय अभ्यासकर्ता द्वारा लिखी गई दवाओं के अलावा अन्य दवा लेना शामिल है, या

iii. बीमित व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कार्य करने, या

iv. स्वेच्छा से खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या करना या इसकी कोशिश करना, या

v. एक पंजीकृत और योग्य चिकित्सीय अभ्यासकर्ता द्वारा बताया गया उपचार और सलाह न करवाना और न मानना, या

vi. वाणिज्यिक अनुज्ञा प्राप्त यात्री विमान में एक यात्री, केबिन क्रू और पायलट को छोड़कर अन्य विमानन, या

vii. खेलों और तैराकी के अलावा किसी आया प्रकार के रेसिंग में शामिल होना , या

viii. किसी भी प्रकार का युद्ध, आक्रमण, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), नागरिक युद्ध, विद्रोह, दंगे, सामाजिक अराजकता, बगावत, सैन्य या हथियाई गई ताकत, या हिंसा के कृत्यों में स्वेच्छा से भाग लेना, या

ix. एक न्यूक्लियर दुर्घटना के कारण रेडियोएक्टिव संदूषण होना, या

x. खतरनाक खेलों या शौक में भाग लेना या जिसमे पैराशूटिंग, पॉटहोलिंग, पहाड़ पर चढ़ाई करना, और हॉट एयर बैलून में सवार होना शामिल है।

चिकित्सीय अभ्यासकर्ता वह व्यक्ति है जो भारत के किसी भी राज्य के आयुर्विज्ञान परिषद् में विधिमान्य रूप से पंजीकृत है और एतद्वारा अपने क्षेत्राधिकार के तहत मेडिसिन प्रैक्टिस करने का अधिकारी है; और वह अपने अनुज्ञा पत्र के स्कोप और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम कर रहा है।

चिकित्सीय अभ्यासकर्ताओं में निम्न शामिल नहीं होगाः

क) पॉलिसी धारक का पति/पत्नी, पिता (सौतेले पिता समेत) या माता (सौतेली माता समेत), बेटा (सौतेला बेटा समेत), बहु, बेटी (सौतेली बेटी समेत), दामाद, भाई (सौतेला भाई समेत), और बहन (सौतेली बहन समेत) या

ख) इस पॉलिसी के अधीन बीमित व्यक्ति/पॉलिसी धारक

अप्रकटनः

- अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड बीमा कंपनी का नाम मात्र है और अविवा ऐफ्लुएंस इकाई से जुड़ी जीवन बीमा अनुबंध का नाम मात्र है और यह किसी भी तरह से अनुबंध की गुणवत्ता, भविष्य में इसकी संभावना और रिटर्न्स नहीं दर्शाता है।
- इस अनुबंध के अधीन प्रस्तुत की गई विभिन्न फंड, कई प्रकार के फंड्स के नाम मात्र हैं और यह किसी भी तरह से इन योजनाओं की गुणवत्ता, भविष्य में इसकी संभावना और रिटर्न्स नहीं दर्शाता है।
- कृपया बीमा एजेंट या मध्यस्थी या पॉलिसी के दस्तावेज़ों या बीमा कंपनी से संबंधित जोखिमों और प्रयोज्य शुल्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

जोखिमों के कारकः

- इकाई से जुड़ी जीवन बीमा उत्पाद पारंपरिक बीमा उत्पादों से अलग है और यह जोखिम कारकों के अधीन है।
- इकाई से जुड़ी जीवन बीमा पॉलिसी में भुगतान की गई किस्त पूंजीगत बाजार से जुड़ी निवेश जोखिमों के अधीन है और फंड के प्रदर्शन और पूंजीगत बाजार को प्रभावित करते कारकों के आधार पर इकाई के एनएवी में उतार–चढ़ाव हो सकता है। बीमित व्यक्ति/पॉलिसी धारक अपने फैसले के लिए खुद जिम्मेदार है।
- इकाई से जुड़ी फंड्स बाजार के जोखिमों के अधीन है और इसका कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है कि निवेश फंड्स का उद्देश्य पूरा होगा।
- निवेश फंड्स के गत प्रदर्शन से भविष्य के प्रदर्शन में कोई सहायता नहीं मिलती है। इस योजना में निवेशकों को गारंटीड/ आश्वस्त रिटर्न्स पेश नहीं किया जा रहा है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 और 45

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41

समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 के उपबंध लागू होंगेः

मौजूदा उपबंधों के अनुसारः

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिमों के संबंध में एक बीमा लेने या रिवाइव करने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन में सम्पूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी पर प्रदर्शित किस्तों में कोई छूट देने के लिए प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा, और न ही पॉलिसी लेने या रिवाइव करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी छूट को स्वीकार करेगा, केवल उन छूटों के अलावा जो बीमा कंपनी द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं या तालिकाओं में स्वीकार्य हो।

(2) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में यदि कोई व्यक्ति कोई चूक करता है तो उस पर दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

अनुबंध पर समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के उपबंध लागू होंगे।

मौजूदा उपबंधों के अनुसार, तीन वर्षों के बाद पॉलिसी पर मिथ्या–कथन के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।

अवीवा के बारे में

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया – डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और यूके में स्थित एक बिमा कंपनी, अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, भारत के साथ जिसका सहयोग 1834.से रहा है। अवीवा जीवन बीमा चुन कर, आप विश्व के सबसे पुराने बीमा समूहों के प्रबंधन अनुभव से लाभ प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में 1696 से जिसका इतिहास रहा है। आज, अवीवा ग्रूप के 16 देशों में 33 मिलियन ग्राहक हैं। (2016)

पूछताछ और शिकायतः

अधिक जानकारी, पूछताछ या शिकायतों के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें:

1800 103 7766 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल–फ्री) या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737

AVIVA
| Life Insurance |

डाबर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड

मुख्य कार्यालयः अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीएलएफ़ फेज–V, सेक्टर 43, गुडगाँव-122 003, हरियाणा, भारत।

फोनः +91 0124-2709000, फैक्सः +91 0124-2571210

वेबसाइटः www.avivaindia.com

ई–मेलः customerservices@avivaindia.com

पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत

IRDAI पंजीकरण संख्या : 122

निगम पहचान संख्या (CIN): U66010DL2000PLC107880

फर्जी फोन कॉल और जाली/ठगी के ऑफ़र्स से सावधानः IRDA की सार्वजनिक घोषणाः • IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या फाइनैंशियल प्रोडक्ट की बिक्री या फिर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जैसे कार्य नहीं करते हैं। • IRDA किसी बोनस की घोषणा नहीं करता है। ऐसे फोन कॉल आने पर फोन नंबर के साथ कॉल विवरण सहित पुलिस में ज़रूर शिकायत करें।

अवीवा ऐफ्लुएंस एक लिंक्ड, गैर–सहभागिता बीमा योजना है। कर के लाभ मौजूदा कर विधियों के अनुसार है जो परिवर्तन के अधीन है। कृपया ध्यान दें कि मूल आधार दस्तावेज़ अंग्रेजी में है और इसके संदर्भ में आपकी आसानी के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाली विविध व्याख्या के मामले में अंग्रेजी संस्करण हर समय स्थानीय भाषा का अधिग्रहण करेगा। पंजीकृत कार्यालय का पताः द्वितीय मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, भारत। फोन नंबरः +91 124 2709000, फैक्सः +91 1242571210, ई–मेलः customerservices@avivaindia.com, हेल्पलाइन नंबरः 1800-180- 22-66/1800-103-77-66, वेबसाइटः www.avivaindia.com, CIN: U66010DL2000PLC107880, UIN: 122L111V01, Ver. 1.1/Jul 17, AN: Jul 61/17.